न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3729/11/2012– विरूद्व आदेश दिनांक 29–5–12 पारित–तहसीलदार पलेरा, जिला टीकमगढ़–प्रकरण कमांक 16 अ–12/2011–12

1– ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रभान सिरोठिया
ग्राम बखतपुर तहसील पलेरा, टीकमगढ़ । ––आवेदक

विरूध्द

1– देशराज पुत्र छिदामी पाल
2– हज्जूपाल पुत्र छिदामी पाल
3– गोकुल पाल पुत्र छिदामी पाल
4– स्वामी पाल पुत्र छिदामी पाल
5– हरदयाल, गोरेलाल पुत्र कूरा प्रजापति
6– बीरन पुत्र घासीराम पाल
7– महिला शांति वेवा धासी पाल
8– हरिश्चन्द्र पुत्र घासी पाल
सभी निवासी ग्राम लारोन तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश ---अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री मनोज पाठक
अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी

आदेश

(आज दिनांक 20 5– 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार पलेरा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 16 अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29–5–12 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 से 4 ने तहसीलदार पलेरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम गुर्राहा वावा स्थित भूमि सर्वे नंबर 14/1, 14/3, 13, 15, 14/2 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) है जिसका पूर्व सीमांकन कराया गया था किन्तु सीमांकन आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी होने पर आदेश दिनांक 7–3–11 से पुनः सीमांकन किये जाने के आदेश हुये है

इसलिये सीमांकन कराया जावे। तहसीलदार पलेरा ने राजस्व निरीक्षक वृत्त पलेरा से सीमांकन कर प्रतिवेदन की मांग की। राजस्व निरीक्षक ने वादग्रस्त भूमि का दिनांक 13.5.12 को सीमांकन किया तथा तहसीलदार पलेरा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन पर आवेदक व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे निरस्त कर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29.5.12 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन को स्वीकृत कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ लेखी बहस के तथ्यों पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन दिनांक 1–7–10 को तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 100 अ 12/09–10 में अंतिमता दिये जाने के विरूद्व निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई और अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 75/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–3–11 से निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये कि हरदयाल, गोरेलाल, बीरन, शॉतिदेवी, हरीचन्द्र व्दारा की गई आपत्ति पर सुनवाई नहीं की गई है एंव उसका भलीभॉति निराकरण नहीं किया गया है इसलिये इन्हें सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार सीमांकन किया जावे।

5/ तहसीलदार व्दारा उक्तादेश के पालन में राजस्व निरीक्षक को पुनः सीमांकन के आदेश दे दिये और उक्त आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक मौके पर सीमांकन हेतु गये, किन्तु उन्होंने दिनांक 29–12–11 इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मौके पर फसल खड़ी है इसलिये फसल कटने के वाद सीमांकन किया जावेगा। राजस्व निरीक्षक ने फसल कटने के वाद पुनः दिनांक 13–5–12 को सीमांकन किया, जिस पर ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रभान सिरोठिया ने

इस आशय की आपत्ति की कि उसने खसरा नंबर 12/1 रकबा 1.011 हैक्टर भूमि विकय पत्र से कय की है एंव चतुर्सीमा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक जानबूझकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि जब एक वार राजस्व निरीक्षक व्दारा किया गया सीमांकन विवादित हो गया और अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा सीमांकन को गलत ठहरा दिया, उसी राजस्व निरीक्षक से पुनः सीमांकन कराना कृषकगण के हित में नहीं है। तहसीलदार का दायित्व था कि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 07 मार्च 2011 के पालन में राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी — सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से नवीन पैमायश मशीन से सीमांकन करना चाहिये था, ताकि भविष्य में कृषकों के बीच सीमा विवाद अथवा व्यर्थ मुकदमेवाजी को टाला जा सके एंव सभी हितबद्व व सीमांत कृषकों को सीमांकन से समाधान हो सके, किन्तु ऐसा न करके उन्होंने आवेदक व्दारा की गई आपत्ति को दरकिनार करते हुये राजस्व निरीक्षक के विवादित सीमांकन प्रतिवेदन को अंतिमता देने में त्रृटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 16 अ—12/ 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 29—5—12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन सभी मेढ़ियाकास्तकारों को व्यक्तिगत सूचना देने के उपरांत सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अथवा अधीक्षक भू अभिलेख के माध्यम से नवीन पैमायश मशीन व्दारा एक माह की अवधि में कराया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर